कार्यालय नगर पंचायत भगवानपुर जनपद हरिद्वार।

सार्वजनिक सुचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि नगर पंचायत भगवानपुर जनपद हरिद्वार द्वारा अपनी सीमान्तर्गत उत्तर प्रदेश नगर पालिका अधिनियम 1916 की धारा 128 व 298 (1) (उत्तराखण्ड मे यथा प्रवृत्त) के अन्तर्गत अपनी सीमा के अन्तर्गत प्लास्टिक/कैरीबैग नियत्रंण उपविधि 2015–16 नगर पंचायत भगवानपुर जिला हरिद्वार द्वारा तैयार कर अनुमोदित की गई है जिसका प्रकाशन उत्तर प्रदेश अधिनियम 1916 की धारा 301 (1) के तहत होना है। उक्त प्लास्टिक/पॉलीथीन/कैरीबैग नियत्रंण उपविधि 2015–16 के सम्बन्ध मे यदि किसी व्यक्ति/संस्था को किसी प्रकार की शिकायत/आपत्ति अथवा कोई सुझाव हो तो वह इस उपविधि के प्रकाशन के एक पक्ष के भीतर किसी भी कार्य दिवस मे अपनी लिखित शिकायत/आपत्ति/सुझाव कार्यालय नगर पंचायत भगवानपुर जिला हरिद्वार मे प्रस्तुत कर सकता है। इस अवधि के बाद प्रस्तुत शिकायत/आपत्ति/सुझाव पर कोई विचार नही किया जायेगा।

प्लास्टिक/पॉलीथीन उपविधि 2015–16

संक्षिप्त नाम, प्रारम्भ और लागू होना–

(1) यह उपविधि नगर पंचायत भगवानपुर जिला हरिद्वार नगर की प्लास्टिक/पॉलीथीन/कैरीबैग नियत्रंण उपविधि 2015–16 कहलायेगी।

(2) यह उपविधि नगर पंचायत भगवानपुर जिला हरिद्वार के सीमार्न्तगत जनपद हरिद्वार मे प्रवृत्त होगी।

(3) यह उपविधि शासकीय गजट मे प्रकाशन की तिथि से प्रभावी होगी।

4 परिभषायें–

(1) जब तक इस विषय के प्रंसग मे कोई बात प्रतिकुल न हो इस उपविधि मे

(क) एक्ट का तात्पर्य उत्तर प्रदेश नगर पालिका अधिनियम 1916 (उत्तराखण्ड मे यथा प्रवृत्त) (यथा संशोधित) से है।

(ख) नगर पालिका से तात्पर्य नगर पंचायत भगवानपुर जिला हरिद्वार जनपद हरिद्वार से है।

(ग) नगर पंचायत भगवानपुर जिला हरिद्वार जनपद हरिद्वार नगर की सीमा क्षेत्र से तात्पर्य उस सीमा से है जो कि शासकीय विज्ञप्ति शासनादेश संख्या 118 iv (i) 2014–4) (नियम) 2011 दिनांक 8 फरवरी 2014 के अन्तर्गत शासकीय गजट मे नगर पंचायत भगवानपुर जिला हरिद्वार की सीमा के लिये प्रकाशित व अनुसूचित की गई है।

(घ) अधिशासी अधिकारी का तात्पर्य अधिशासी अधिकारी नगर पंचायत भगवानपुर जिला हरिद्वार जनपद हरिद्वार, नगर के कार्यरत अधिशासी अधिकारी से है।

(ड) सफाई निरीक्षक का तात्पर्य नगर पंचायत भगवानपुर जिला हरिद्वार जनपद हरिद्वार नगर के कार्यरत सफाई एंव खाद्य निरीक्षक से है।

(च) अध्यक्ष का तात्पर्य उस व्यक्ति से है जो नगर पंचायत भगवानपुर जिला हरिद्वार जनपद हरिद्वार नगर के सीमान्तर्गत स्थित जनता द्वारा नगर पंचायत भगवानपुर जिला हरिद्वार जनपद हरिद्वार नगर के बोर्ड का अध्यक्ष निर्वाचित किया गया हो।